

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकाम:- नसीराबाद

सावरलाल बनाम मिथीलाल वंगेरद

किस्म मुकदमा :- 88, 188, 92A रा. काश्त. अधि. 1955

प्रकरण संख्या 68 सन् :- 2017

| | | |
|------------|-----------------------------------|--|
| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|-----------------------------------|--|

01-5-17 अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद प्रस्तुत किया वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया जाये। पत्रावली वास्ते इन्तजारी तलबी दिनांक 11.5.17 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद

न्याय आपके द्वार अभियान - 2017 न
लोक अदालत

11.5.17 पत्रावली के मय कोर्ट के मय के मुताबिक इसी प्रतिवादी मिथीलाल उपखण्ड नसीराबाद के उक्त वाद के मय के मुताबिक कि आप कोर्ट के खाला के 60/60 व 61/62 के वादी व प्रतिवादी के हिस्से को मिल जाये। उक्त वादी हलका के रिपोर्ट तालक की जमीन रिपोर्ट अनुसार खाला के 60/60 व 61/62 के वादी व प्रतिवादी को 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी को 1/2 हिस्सा से प्रतिवादी द्वारा दिये गए हिस्सा जमा है उक्त मुकदमा के मय है कि वादी को अनुचित प्राप्त करना चाहता है वह रिपोर्ट अनुसार के संकेत है प्रमाण है। वाद पर प्रतिवादी को प्रतिवादी का संकेत नहीं है। वाद पर इसे न्याय विभागात् किया जाता है पत्रावली के मय मुताबिक को नसीराबाद को वाद हो व प्रतिवादी के मय है।

मिथीलाल वंगेरद

पाठसान अधिकारी
लोक अदालत/कैम्प कोर्ट